

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।


अधिसूचना

राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018

संख्या-4/स्थापद-02-01/2017 का. 4872/ कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका सदर (अतिरिक्त प्रभार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका) के पद पर पदस्थापित श्री सुदेश कुमार, झाप्रसे (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला- देवघर) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए अगले आदेश तक इन्हें अंचल अधिकारी, बोआरीजोर, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे।
3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानान्तरित/पदस्थापित पदाधिकारी के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(एच० के० सुधौशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 4/स्थापद-02-01/2017 का० 4872/ राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018


प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 4/स्थापद-02-01/2017 का० 4872/ राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/उप सचिव, प्रभारी (प्रशाखा-5 एवं 6) कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018

संख्या-4/स्था0पद0-02-013/2014 का. 4873/ देवघर श्रावणी मेला, 2018 के अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु निम्नांकित कार्यपालक दण्डाधिकारियों को देवघर जिला में दिनांक 20.07.2018 से 40 दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है :-


क्र0	पदाधिकारी का नाम/बैच/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3
1	श्री संतोष कुमार प्रजापति, चतुर्थ बैच/प0 सिंहभूम	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला
2	श्री समीर कच्छप, तृतीय सीमित बैच/रांची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)
3	श्री कुमार मंयक भूषण, द्वितीय सीमित बैच/लोहरदगा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा
4	श्री नन्दजी राम, चतुर्थ सीमित बैच/रांची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा (अतिरिक्त प्रभार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा)
5	श्री मनीष कुमार, तृतीय बैच/रांची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा (अतिरिक्त प्रभार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा)
6	श्री सुरेश कुमार सिन्हा, चतुर्थ सीमित बैच/रामगढ़	कार्यपालक दण्डाधिकारी, चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम)
7	श्री कुमुद कुमार झा, द्वितीय सीमित बैच/गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग सदर
8	श्री राजेश कुमार साहू, तृतीय बैच/चतरा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा
9	श्री संतोष सिंह, द्वितीय बैच/उ0प्रदेश	कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा
10	श्री अजय कुमार वर्मा, चतुर्थ सीमित बैच/धनबाद	कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा सदर (अतिरिक्त प्रभार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चतरा)
11	श्री राजेश कुमार सिन्हा, चतुर्थ सीमित बैच/रामगढ़	कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा
12	श्री चन्द्रजीत सिंह, चतुर्थ सीमित बैच/बोकारो	कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद
13	श्री विजय राजेश बरला, चतुर्थ सीमित बैच/गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, चास सदर (बोकारो)
14	श्री साकेत कुमार सिन्हा, द्वितीय सीमित बैच/हजारीबाग	कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट), बोकारो
15	श्री संदीप कुमार मद्देशिया, द्वितीय बैच/महाराजगंज	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह
16	श्री महेन्द्र रविदास, चतुर्थ सीमित बैच/कोडरमा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह सदर
17	श्री गिरिवर मिंज, चतुर्थ सीमित बैच/गढ़वा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू
18	श्री रूपेश कुमार, चतुर्थ बैच/गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार
19	श्री देवराज गुप्ता, तृतीय बैच/दुमका	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार
20	श्री प्रवीण चौधरी, चतुर्थ सीमित बैच/दुमका	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी दिनांक 19.07.2018 तक प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में दिनांक 20.07.2018 के पूर्वाह्न में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 40 दिनों की प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि के उपरांत उपायुक्त, देवघर द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(एच0 के0 सुधौंशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-4/स्था0पद0-02-013/2014 का. - 4873/ राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018


प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-4/स्था0पद0-02-013/2014 का. - 4873/ राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका/ उपायुक्त, देवघर/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना**

राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018

संख्या-4/स्थापद-02-013/2014 का. 4874/ बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2018 के अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु निम्नांकित कार्यपालक दण्डाधिकारियों को दुमका जिला में दिनांक 27.07.2018 से 30 दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है :-


क्र०	पदाधिकारी का नाम/ बैच/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3
1	श्री इमानुएल जयबीरस लकड़ा, द्वितीय सीमित बैच/लोहरदगा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, नगर उटारी (गढ़वा)
2	श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, द्वितीय बैच/राँची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा
3	श्री फुलेश्वर मुर्मू, द्वितीय सीमित बैच/देवघर	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा सदर
4	श्री कानू राम नाग, द्वितीय बैच/प० सिंहभूम	कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज
5	श्री मोहन लाल मराण्डी, प्रथम बैच/गोड्डा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज
6	श्री अमित कुमार मिश्रा, तृतीय सीमित बैच/सिमडेगा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, राजमहल (साहेबगंज)
7	श्री राम प्रवेश कुमार, चतुर्थ सीमित बैच/लोहरदगा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़
8	श्री महेन्द्र मांझी, द्वितीय सीमित बैच/गोड्डा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ सदर

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत दुमका जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

III . संबंधित नियंत्री पदाधिकारी दिनांक 26.07.2018 तक प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV . सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में दिनांक 27.07.2018 के पूर्वाह्न में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 30 दिनों की प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि के उपरांत उपायुक्त, दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(एच० के० सुधाँशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-4/स्थापद-02-013/2014 का. - 4874/ राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 4/स्थापद-02-013/2014 का. - 4874/ राँची, दिनांक- 02 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका/उपायुक्त, दुमका/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।